



बोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-01

सोमवार, दिनांक- 21 अगस्त, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 11.18 बजे पूर्वांश तक

[1] अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक सम्बोधन :-

यथा संलग्न ।

[2] अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के लिए निम्नांकित 5 (पाँच)

सभा सदस्यों को अध्यासी सदस्य मनोनीत किया है :-

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (i) श्री हरिनारायण सिंह | (ii) श्री (मो०) इलियास हुसैन |
| (iii) श्री तारकिशोर प्रसाद | (iv) श्री (डॉ०) अशोक कुमार |
| (v) श्रीमती (डा०) रंजु गीता | |

[3] कार्यमंत्रणा समिति का गठन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के लिए निम्न प्रकार से कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया :-

- | | |
|---|----------|
| (i) अध्यक्ष, बिहार विधान सभा | - सभापति |
| (ii) श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री | - सदस्य |
| (iii) श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री | - सदस्य |
| (iv) श्री श्रवण कुमार, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग | - सदस्य |
| (v) श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा विभाग | - सदस्य |
| (vi) श्री प्रेम कुमार, मंत्री, कृषि विभाग | - सदस्य |
| (vii) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल | - सदस्य |
| (viii) श्री सदानन्द सिंह, स०विं०स० | - सदस्य |

विशेष आमंत्रित सदस्य

- (i) श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०विं०स०

- (ii) श्री महबूब आलम, संविधान
- (iii) श्री सुधार्षा शेखर, संविधान
- (iv) श्री राजू तिवारी, संविधान

नियमानुसार अध्यक्ष, इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

[4] राज्यपाल का संदेश :-

आसन द्वारा घोड़श बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित "आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016" पर बिहार के महामहिम राज्यपाल से प्राप्त निम्न संदेश को पढ़ा गया :-

"I have carefully perused and considered the "Aryabhatta Knowledge University (Amendment) bill, 2016"

The Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 has been established for excellence in conventional as well as professional education. The Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 has been proposed to take advantage of experienced persons in the field of education and to further strengthen and streamline administration of the University. The correlation between aims and objectives of Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 and the proposed Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 needs to be clarified.

The proposed amendment requires reconsideration so as to clearly establish reasonableness of the Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 to cure any defect, mischief or shortcoming that the The Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 may suffer from.

Therefore, the proposed The Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 be returned with a request that both houses of the Legislature re-consider the aforesaid Bill as suggested above."

[5] अनुमति विधेयकों के विवरण का सभा पटल पर रखा जाना :-

सभा सचिव द्वारा घोड़श बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 12 (बारह) विधेयकों का विवरण सभा पटल पर रखा गया :-

| क्रमांक | विधेयकों का नाम | अनुमति की तिथि |
|---------|--|----------------|
| (i) | बिहार विनियोग विधेयक, 2017 | 09.03.2017 |
| (ii) | बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 | 31.03.2017 |
| (iii) | बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 | 12.04.2017 |
| (iv) | बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 | 12.04.2017 |
| (v) | बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 | 12.04.2017 |
| (vi) | पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 | 12.04.2017 |
| (vii) | बिहार विनियोग अधिकारी व्यव (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 | 12.04.2017 |
| (viii) | बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 | 12.04.2017 |
| (ix) | बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 | 03.05.2017 |
| (x) | बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 | 03.05.2017 |
| (xi) | बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 | 15.05.2017 |
| (xii) | पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 | 15.05.2017 |

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति को माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री कपिलदेव कामत द्वारा सभा पटल पर रखा गया।

[7] वित्तीय कार्य :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।

[8] शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की :-

- (i) स्व० सुनीला देवी, पूर्व स०विंस०
- (ii) स्व० अदनान खाँ, पूर्व स०विंस०
- (iii) स्व० राज किशोर सिन्हा, पूर्व स०विंस०
- (iv) स्व० बद्री नारायण नाथ, पूर्व स०विंप०
- (v) स्व० पी० के० सिन्हा, पूर्व स०विंप०

तदोपरांत सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि मेरे एवं संपूर्ण सदन की ओर से शोक संवेदना शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेज दिये जाएँगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 2017 को 11.00 बजे पूर्वांत तक के लिए स्थगित की गई।

पटना

दिनांक-21.08.2017

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।